

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कपासन, जिला चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी- राजेश सुवालका (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या  
105 / 2025

दायर दिनांक  
02.06.2025

निर्णय दिनांक  
12.06.2025

## अनवान

1. किशन पिता माना जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी सिद्धपुरा गाडरीयावास तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
2. हरकु पिता माना जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी सिद्धपुरा गाडरीयावास तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
3. उंकार पिता रूपा जाति कुम्हार आयु वयस्क निवासी गोरजी का निम्बाहेडा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
4. शान्ता पत्नी उंकार जाति कुम्हार आयु वयस्क निवासी गोरजी का निम्बाहेडा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
5. कमला पुत्री किशन जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी सिद्धपुरा गाडरीयावास तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
6. दल्लीचन्द पिता किशना जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी सिद्धपुरा गाडरीयावास तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
7. देवजी पिता कालु जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी सिद्धपुरा गाडरीयावास तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
8. नानी पत्नी किशना जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी सिद्धपुरा गाडरीयावास तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
9. नोसर पुत्री किशना जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी सिद्धपुरा गाडरीयावास तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
10. हजारि पिता कालु जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी सिद्धपुरा गाडरीयावास तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

## प्रार्थीगण

## बनाम

1. रतन पिता मोडा जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी सिद्धपुरा गाडरीयावास तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
2. माधु पिता कालु जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी सिद्धपुरा गाडरीयावास तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
3. देउ पत्नी मोडा जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी सिद्धपुरा गाडरीयावास तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
4. डालु पिता भागीरथ जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी सिद्धपुरा गाडरीयावास तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
5. प्रभु पिता मोडा जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी सिद्धपुरा गाडरीयावास तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
6. देवजी पिता कालु जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी सिद्धपुरा गाडरीयावास तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
7. हजारि पिता कालु जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी सिद्धपुरा गाडरीयावास तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
8. कैलाशी पत्नी बालु जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी सिद्धपुरा गाडरीयावास तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

रजेश सुवालका  
(उपखण्ड अधिकारी)  
कपासन जिला-चित्तौड़गढ़



- गोपी पत्नी गणेश जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी सिद्धपुरा गाडरीयावास तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ ।
10. मगनी पत्नी लेहरू जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी सिद्धपुरा गाडरीयावास तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ ।
11. शंकर पिता गणेश जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी सिद्धपुरा गाडरीयावास तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ ।
12. कैलाश पिता लेहरू जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी सिद्धपुरा गाडरीयावास तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ ।

उपरिथिति:- अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड  
एकतरफा

अप्रार्थीगण  
प्रार्थीगण  
अप्रार्थीगण

—:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू-राजस्व अधिनियम::—


—:: निर्णय ::—

संक्षेप में बिवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू-राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा मोडारडा उर्फ रूपनगर पटवार हल्का निम्बाहेडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ की जमाबंदी संवत् 2074-2077 के खाता संख्या 123 की अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 2520 रकबा 0.30 हैक्ट0, खाता संख्या 45 की आराजी संख्या 2519 रकबा 0.55 हैक्ट0, खाता संख्या 14 की आराजी संख्या 2523 रकबा 0.23 हैक्ट0, खाता संख्या 11 की आराजी संख्या 2517 रकबा 0.09 हैक्ट0 तथा खाता संख्या 48 की आराजी संख्या 2525, 2526 कुल कित्ता 02 कुल रकबा 0.80 हैक्ट0 कृषि भूमि प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है, और अप्रार्थीगण आराजियात जैर-बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा-चिन्ह स्थापित किया जावें। प्रार्थीगण वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

इस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण के वावजूद सूचना के हाजिर नहीं आने से विरुद्ध कार्यवाही एक तरफा किये जाने का आदेश दिया गया। हाजिर वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईशतदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थीगण अपनी आराजीयात की पत्थरगढी कराना चाहते हैं, अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावें। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन किया एवं पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली का आद्यौपान्त अवलोकन किया। प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण आराजियात जैरबहस के संयुक्त खातेदार काश्तकार हो कर इन्हें आराजीयात जैर-बहस की नपती करा पत्थरगढी कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम में प्रार्थी प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के संयुक्त खातेदार काश्तकार होने से सीमाज्ञान कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू-राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है कि प्रार्थीगण की खातेदारी की



  
जिलाधिकारी  
(उपर्युक्त अधिकारी)  
कपासन जिला-चित्तौड़गढ़

आराजीयात मौजा मोडारडा उर्फ रूपनगर पटवार हल्का निम्बाहेडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ की जमाबंदी संवत् 2074-2077 के खाता संख्या 123 की अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 2520 रकबा 0.30 हैक्ट0, खाता संख्या 45 की आराजी संख्या 2519 रकबा 0.55 हैक्ट0, खाता संख्या 14 की आराजी संख्या 2523 रकबा 0.23 हैक्ट0, खाता संख्या 11 की आराजी संख्या 2517 रकबा 0.09 हैक्ट0 तथा खाता संख्या 48 की आराजी संख्या 2525, 2526 कुल कित्ता 02 कुल रकबा 0.80 हैक्ट0 कृषि भूमि फरीकेन मुकदमा को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो, किसी को बिना बेदखली एवं बिना किसी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी किये पत्थरगढी की जावे। पत्थरगढी हेतु भू0अभि0निरी0 निम्बाहेडा को 1000/- रुपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट गय पर्चा मौका एवं मौका नक्शा इस न्यायालय में आवश्यक रूप से पेश करे तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थी से मौके पर प्राप्त करें। पालनार्थ तहसीलदार कपासन को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 12.06.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(सुपरी) (मुवासका)  
(उपखण्ड अधिकारी)  
कपासन चित्तौड़गढ़